न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ म.प्र.
(समक्षः-जितेन्द्र मेहर)

फाईलिंग नंबर-	RCT/892-2022
सी.एन.आर. नंबर-	MP1206-000923-2022
संस्थित दिनांक	03-12-2022

{निर्णय दिनांक 10.12.2022 को घोषित}
{नियमित आपराधिक प्रकरण क्रमांक- RCT-342/2022}

(पुलिस थाना मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.) के अपराध क्रमांक-216/2022 अंतर्गत धारा - 279, 337, 338 भा.द.सं. एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम से उद्भूत प्रकरण)

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मूंदी तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री धिरेन्द्रसिंह चौहान ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	संतोष उर्फ शांतिलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी सिंगाजी, थाना मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री संपत पचौरे।

अपराध की तारीख	05.05.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	14.05.2022
आरोप-पत्र की तारीख	09.12.2022
आरोप के विरचना की तारीख	09.12.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	09.12.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	10.12.2022
निर्णय तारीख	10.12.2022
दंडादेश, यदि कोई हो, तारीख	दोषमुक्त

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	संतोष उर्फ शांतिलाल	'निरंक'	'निरंक'	279 भा.दं.सं. एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम	दोषमुक्त	'निरंक'	'निरंक'

1. इस प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इस निर्णय में आगे मात्र **''संहिता''** कहा गया है), की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम (जिसे इस निर्णय में आगे मात्र **''अधिनियम''** कहा गया है), की धारा 146/196 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किए जाने का इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 05.05.2022 को 03:00 बजे या उसके आसपास स्थान अत्रेजी के खेत के पास ग्राम माण्डला में या उसके आसपास अर्थात लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाते हुए मानव जीवन संकटापन किया एवं उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के लोकमार्ग पर चलाया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवारी हरेसिंह घटना दिनांक को 05.05.2022 के रात्रि करीबन 9 बजे 01.00 बजे उसके पिता रामेश्वर अलग अलग मोटरसायकल से माण्डला टांडा पर अपने घर से शादी में जा रहे थे। आगे-आगे मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 12 एम.जेड. 8065 से चल रहा था और उसके पीछे उसके पिता रामेश्वर अपनी मोटर सायकल से चल रहे थे, अत्रेजी के खेत के पास माण्डला टांडा तरफ से आ रही मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146 का चालक अपनी मोटर सायकल तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व उसके पिता रामेश्वर की मोटर सायकल को सामने से टक्कर मार दी जिससे उसके पिता मोटर सायकल सहित जमीन पर गिर गये और उन्हें दाहिने पैर में चोट लगी एवं दाहिने कंधे पर चोट आई और घटना उसकी मोटर सायकल के पीछे बैठा उसका दोस्त ने देखा, फिर वह अपने पिता को को सरकारी अस्पताल खंडवा लेकर गया और वह उसका इलाज करवाया और आराम लगने के बाद चौकी बीड में मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 045/2022 के अंतर्गत संहिता की धारा 279, 337 की प्राथमिकी लेख की गई जिस पर से आरक्षी केन्द्र मूंदी में मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 216/2022 संहिता की धारा 279, 337, 338 एवं

अधिनियम की धारा 146/196 पंजीबद्ध की गयी और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में अभियुक्त का परिवादी परिवादी हरेसिंह एवं आहत रामेश्वर की ओर से अंतर्गत धारा 320(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आपसी समझौता हो जाने के परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 09.12.2022 को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत संहिता की धारा 338 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है एवं शेष अशमनीय अपराध अंतर्गत संहिता की धारा 279 एवं अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत अभियुक्त का विचारण किया गया है।

4. अभियुक्त को निर्णय के चरण क्रं-01 अनुसार संहिता की धारा-279 एवं अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप पढ़कर सुनाऐ व समझाए जाने पर उसने आरोपित आरोपों से इंकार किया है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के अंतर्गत अस्वीकार किया गया एवं स्वयं अपने परीक्षण अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए यह प्रतिरक्षा ली है, वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है और अन्य कोई प्रतिरक्षा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

5. **<u>प्रकरण के अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि:-</u>**

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2022 को 03:00 बजे या उसके आसपास स्थान अत्रेजी के खेत के पास ग्राम माण्डला में या उसके आसपास अर्थात लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाते हुए मानव जीवन संकटापन किया ?
2. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के लोकमार्ग पर चलाया ?
3. अपराध यदि कोई प्रमाणित हुआ हो और दण्डादेश।

<u>- सकारण विनिश्चय -</u>

<u>- विचारणीय प्रश्न क्रं-01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष -</u>

6. विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01, 02 एवं 03 परस्पर एक-दूसरे से अनन्याश्रित होने से उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. रामेश्वर अ.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है और घटना 5-6 माह पूर्व की है। घटना के समय वह और उसका बेटा हरेसिंह अलग-अलग मोटरसायकल से मांडला टांडा पर अपने घर से शादी में जा रहे थे

और उसके आंगे उसका लडका हरेसिंह मोटरसायकल से चल रहा था और वह अपनी मोटरसायकल से पीछे चल रहा था और अंतराजी के खेत के पास मांडला तरफ से आ रही मोटरसायकल से अचानक जानवर आने से बचाने के लिये मोटरसायकल असंतुलित होकर आपस में टकरा गई थी, जिससे दोनों मोटरसायकल चालक गिर गये थे, जिससे दोनों को चोटें आई थी। घटना के समय उसका लडका हरेसिंह और रमेश ने उसकी मदद कर सरकारी अस्पताल पहूंचाया था और वह घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल में होश आया था। इस साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करने से अभियोजन पक्ष द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया है और यह भी बताया है कि उसने पुलिस कथन कथन प्रदर्श पी.-1 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया है और उक्त कथन पुलिस ने कैसे लिख लिया वह इस बात का कोई कारण नहीं बता सकता है।

8. हरेसिंह अ.सा.-2 ने आहत रामेश्वर अ.सा.-1 के कथनों का समर्थन करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह आगे अपनी मोटरसायकल से चल रहा था और पीछे उसके पिता अपनी मोटरसायकल से चल रहे थे। अंतराजी के खेत के पास मोटरसायकल असंतुलित होकर आपस में टकरा गई थी तो उसने पीछे मुडकर देखा तो दोनों मोटरसायकल चालक गिर गये थे, जिससे दोनों को चोटें आई थी और रमेश और उसने उसके पिता को उठाकर सरकारी अस्पताल पहूंचाया था और घटना की रिपोर्ट बीड चौकी में प्रदर्श पी.-2 की लेखबद्ध करवाई थी और पुलिस ने घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी.-3 का बनाया था और उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करने से अभियोजन पक्ष द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया है और यह भी बताया है कि उसने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन कथन प्रदर्श पी.-4 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया है और उक्त कथन पुलिस ने कैसे लिख लिया वह इस बात का कोई कारण नहीं बता सकता है।

9. पूनमचंद पाटील अ.सा.-3 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बतलाया है कि दिनांक 14.05.2022 को आरक्षी केन्द्र मूंदी के अपराध क्रमांक 216/2022 संहिता की धारा 337, 279 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान उसके द्वारा परिवादी हरेसिंह की उपस्थिति में घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और वाहन मालिक कैलाश को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी-5 दिया था और थाने पर मोटरसायकल डिस्कवर काले रंग की क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई 9146, रजिस्ट्रेशन व चालक का लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 का बनाया था और अभियुक्त संतोष का उपस्थिति पंचनामा बनाया प्रदर्श पी-7 बनाया था और जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई 9146 को मैकेनिकल जांच हेतु प्रतिवेदनप्रदर्श पी-8 रक्षित निरीक्षक खण्डवा को प्रेषित किया था और दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और उसके द्वारा आहत रामेश्वर, परिवादी हरेसिंह,

साक्षी रमेश के कथन उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे, उसके द्वारा कुछ भी घटाया या बढाया नहीं गया था और विवेचना के दौरान आहत का एक्सरे में फ्रेक्चर पाये जाने से संहिता की धारा 338 एवं बीमा न होने से अधिनियम की धारा 146/196 का इजाफा किया गया था।

10. चूंकि हस्तगत मामले में अभिलेख पर रामेश्वर अ.सा.-1 एवं हरेसिंह ने अपने मामले का समर्थन नहीं किया है, इस प्रकार अभिलेख पर कोई ऐसी सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके।

11. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विवचेन से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा ही वाहन को चलाया जा रहा था और इस स्थिति में यह भी दर्शित नही होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त संतोष मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई 9146 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर अभियोजन साक्षी के अतिरिक्त प्रकरण में कोई अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष का प्रकरण प्रमाणित माना जा सके। इसी प्रकार विवेचना अधिकारी द्वारा मात्र अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त से वाहन एवं दस्तावेज जप्त किया था।

12. पूनमचंद पाटील अ.सा.-3 के द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया है उन्होंने ऐसा पाया था कि अभियुक्त द्वारा वाहन को बिना बीमा के लोकमार्ग पर चलाया जा रहा था। तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि घटना दिनांक को अभियुक्त के पास वैध बीमा नहीं था, तब भी अभियोजन पक्ष का प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे इस कारण प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से यह तथ्य ही प्रमाणित नहीं हुआ है कि घटना दिनांक को अभियुक्त संतोष द्वारा ही मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई 9146 को चलाया जा रहा था।

13. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार मात्र लापरवाही का आक्षेप भी स्वतः अपने आप में चालक की उपेक्षा या उतावलेपन को दर्शित नहीं कर सकता है क्योंकि संहिता की धारा 279 के प्रयोजन से उपेक्षा या उतावलापन को मात्र साधारण लापरवाही के तुल्य नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ कर्नाटक विरूद्ध मुरलीधर ए-आई-आर- 2009 सुप्रीम कोर्ट 1621*** में प्रतिपादित निम्न लिखित सिद्धांत अनुकरणीय है:-

6. ----------. A negligent act is an act done without doing something which a reasonable man guided upon those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do or act which a prudent or reasonable man would not do in the circumstances attending it. A rash act is a negligent act done precipitately. Negligence is the genus, of which rashness is the species. It has sometimes been observed

that in rashness the action is done precipitately that the mischievous or illegal consequences may fall, but with a hope that they will not. Lord Atkin in Andrews v. Director of Public Prosecutions (1937) AC 576 at p.583 : 2 All ER 552) observed as under:

"Simple lack of care such as will constitute civil liability is not enough. For purposes of the criminal law there are degrees of negligence; and a very high degree of negligence is required to be proved before the felony is established. Probably of all the epithets that can be applied 'recklessness' most nearly covers the case. It is difficult to visualize a case of death, caused by reckless driving in the connotation of that term in ordinary speech which would not justify a conviction for manslaughter; but it is probably not all embracing, for 'recklessness' suggests an indifference to risk whereas the accused may have appreciated the risk and intended to avoid it, and yet shown in the means adopted to avoid the risk such a high degree of negligence as would justify a conviction."

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटना होना ही अपने आप में यह माना जाने का आधार नहीं हो सकता है कि चालक उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाये जाने का दोषी है और इस संबंध में ***माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत कल्लु विरूद्ध स्टेट आफ एम-पी.- 1970 शार्ट नोट 20*** में अभिव्यक्त मत अनुकरणीय है।

15. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2022 को 03:00 बजे या उसके आसपास स्थान अत्रेजी के खेत के पास ग्राम माण्डला में या उसके आसपास अर्थात लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाते हुए मानव जीवन संकटापन किया एवं उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के लोकमार्ग पर चलाया। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए संहिता की धारा 279 एवं अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध से दोषमुक्त घोषित कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

16. ***दांडिक अपील क्र. 653/2007 (विश्वजीत एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.राज्य) में निर्णय दिनांक 10.09.2013*** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसंधान, जांच और विचारण के दौरान अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में नहीं रहा है। इस संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र निरंक है।

17. अभियुक्त जमानत बंधपत्र और व्यक्तिगत बंधपत्र पर स्वतंत्र है, उक्त जमानत एवं बंधपत्र दं.प्र.सं. की धारा-437-क के अन्तर्गत प्रस्तुत मुचलके को छोड़कर भारमुक्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146, रजिस्ट्रेशन एवं अभियुक्त संतोष का ड्रायविंग लायसेंस की सुपुर्दगी के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। अतः दप्रसं. की धारा 452 के अंतर्गत यह आदेशित किया

जाता है कि उक्त संपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके कब्जे या दावे के हकदार व्यक्ति को प्रदान की जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

19. निर्णय के साथ संलग्न- **परिशिष्ट (Appendix) प्रारूप-च** इस निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षंरित एवं दिनांकित किया।

निर्णय मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

(जितेन्द्र मेहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.)

(जितेन्द्र मेहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.)

परिशिष्ट (Appendix)
प्रारूप-च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क्र. अभियोजनः-

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)
अ.सा.-1	रामेश्वर	आहत
अ.सा.-2	हरेसिंह	परिवादी
अ.सा.-3	पूनमचंद पाटिल	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः-

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)
'निरंक'	'निरंक'	'निरंक'

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)
'निरंक'	'निरंक'	'निरंक'

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूचीः-

क्र. अभियोजनः-

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.-1/अ.सा.-1	साक्षी रामेश्वर का पुलिस कथन
2	प्रदर्श पी.-2/अ.सा.-1	प्रथम सूचना रिपार्ट
3	प्रदर्श पी.-3/अ.सा.-2	घटना स्थल का नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी.-4/अ.सा.-2	साक्षी रामेश्वर का पुलिस कथन
5	प्रदर्श पी.-5/अ.सा.-3	वाहन स्वामी को जारी सूचना पत्र
6	प्रदर्श पी.-6/अ.सा.-3	जप्ती पत्रक
7	प्रदर्श पी.-7/अ.सा.-3	अभियुक्त का उपस्थिति पंचनामा
8	प्रदर्श पी.-8/अ.सा.-3	मैकेनिकल जांच हेतु प्रेषित पत्र

ख-प्रतिरक्षाः-

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
'निरंक'	'निरंक'	'निरंक'

ग-न्यायालयीन प्रदर्शः-

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
'निरंक'	'निरंक'	'निरंक'

घ-आवश्यक वस्तुएंः-

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.-6	मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146
2	प्रदर्श पी.-6	मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 10 एम.ई. 9146 का राजिस्ट्रेशन कार्ड मूल
3	प्रदर्श पी.-6	अभियुक्त संतोष का लायसेंस

(जितेन्द्र मेहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.)

JITENDRA KUMAR MEHAR
Digitally signed by JITENDRA KUMAR MEHAR
Date: 2022.12.10 18:17:47 +0530